न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 7 / 2017 (बांसवाड़ा डिक्री)

दलीचन्द पिता श्री मूलचन्द, जाति कलाल, निवासी करजी, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. मगनलाल पिता श्री कोदर, जाति कलाल, निवासी करजी, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. खुमा पिता श्री विठ्ला, जाति भील, निवासी करजी, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. हरीश पिता श्री विठ्ला, जाति भील, निवासी करजी, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. श्रीमती मानु पत्नी स्वर्गीय श्री विठ्ला, जाति भील, निवासी करजी, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. भूमिधारी तहसीलदार, बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, बागीदौरा
दिनांक 23.02.2012 प्र.सं. 46 / 2008

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री रामवीर शर्मा अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री महेन्द्र गांधी अभिभाषक रेस्पो. सं. 1
3– श्री जयेन्द्र पुरोहित अभि.रे. सं. 2 से 4
4– राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं0 5

———::———

निर्णय दिनांक 23–01–2018

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद इन्द्राज

दुरस्ती का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण के पूर्वज अमरजी पिता कूरिया भील के नाम से सर्वे नंबर 1251 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि ग्राम करजी में थी, जिसमें से दिनांक 29–05–1993 को तहसीलदार बागीदौरा के आदेश क्रमांक 3079/81 द्वारा 5 बिस्वा भूमि व दिनांक 03–06–1996 को 1 बीघा भूमि आबदी में दर्ज है। इस तरह सर्वे नंबर 1251 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा में 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि आबादी में दर्ज होकर नामान्तरकरण 198 दिनांक 06–09–1996 को राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत् 2035 से 2038 में दर्ज है। उक्त भूमि का नक्शा ट्रेस में 90 X 76 कुल 760 वर्ग गज का भूखण्ड वादी द्वारा दिनांक 17–06–1996 को क्रय किया गया, जिसका पंजीयन 22–06–1996 को किया गया, तब से वादी का कब्जा है। अमरजी की मृत्यु हो चुकी है, जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 3 हैं। उक्त भूमि के वक्त सेटलमेन्ट नंबर 905 रकबा 0.20 हैक्टर एवं आराजी नंबर 906 रकबा 0.06 हैक्टर बने, परन्तु नकल तुलनात्मक में खसरा नंबर 1251 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा के स्थान पर 1 बीघा गलती से प्रविष्ट कर दिया गया, जबकि 0.26 हैक्टर भूमि 1 बीघा 17 बिस्वा होती है। निवेदन किया कि तुलनात्मक रेकार्ड में सर्वे नंबर 1251 रकबा 1 बीघा के स्थान पर 1 बीघा 17 बिस्वा किया जावे तथा हाल नंबर 906 जो कि कृषि भूमि के रूप में है को सर्वे नंबर 905 के उत्तर दिशा में दर्ज किया जावे।

प्रतिवादीगण द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर प्रकरण में निम्नानुसार 3 तनकियात कायम की :–

1. आया प्रतिवादीगण के पूर्वज अमरजी पिता कुरिया भील के नाम सर्वे नंबर 1251 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा ग्राम करजी में था, जिसमें 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि आबादी में दर्ज हुई। वादी ने 90 X 76 कुल 760 वर्ग गज भूमि दिनांक 17–06–1996 को क्रय की गयी। उसके बाद से वादी का कब्जा है। उक्त सर्वे नंबर के नये नंबर 905 रकबा 0.20 हैक्टर व सर्वे नंबर 906 रकबा 0.06 हैक्टर बना हैं, किन्तु तुलनात्मक में 1251 का रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा के बजाय 1 बीघा बताया है तथा नशा ट्रेस में आबादी भूमि को कृषि भूमि दर्ज किया गया है ? ..... वादी

2. आया सर्वे नंबर 905 रकबा 0.20 हैक्टर आबादी वाद लाया है। उक्त भूमि आबादी होने से तथा राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार में नहीं होने से आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद खारिज योग्य है ? .....प्रतिवादीगण

3. अनुतोष ?

अधिनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्य सबूतों के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित करते हुए अपने निर्णय दिनांक 23–02–2012 से ग्राम करजी के तुलनात्मक क्षेत्रफल रेकार्ड में अंकित नवीन खसरा नंबर 905 रकबा 0.20 हैक्टर तथा 906 रकबा 0.06 हैक्टर जो खसरा नंबर 1251 रकबा 1 बीघा को बनना दर्शाता है में रकबा 1 बीघा के स्थान पर 1 बीघा 12 बिस्वा अंकित करने शुद्धि आदेश दिया जाता है तथा खसरा नंबर 906 रकबा 0.06 हैक्टर तथा खसरा नंबर 906 से लगता हुआ खसरा नंबर 205 रकबा 0.14 हैक्टर आबादी दर्ज करने तथा खसरा नंबर 905 का शेष उत्तरी भाग रकबा 0.06 हैक्टर खातेदार प्रतिवादी का कृषि खाते भूमि के रूप में दर्ज करने के आदेश दिये।

उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 23–02–2012 से रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 20–06–2014 को प्रस्तुत की गयी है।

→ अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का कोई आवेदन एवं शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतएवं प्रथम दृष्टया अपील बेरून मयाद होने से ही खारिज किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट द्वारा दफा 96 जाब्ता दीवानी का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी/रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त भूमि दिनांक 17–06–1996 को एवं पंजीयन दिनांक 22–06–1996 को होने का कथन किया है। चूंकि मूल सर्वे नंबर 1251 जिसके हाल आराजी नंबर 905 रकबा 0.20 हैक्टर व आराजी नंबर 906 रकबा 0.06 हैक्टर बने हैं, अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 4 के पिता अमरिया से आराजी नंबर 1251 की आवासीय भूमि 76 X 140 कुल क्षेत्रफल 1183 वर्ग गज क्रय किया है, जिसके पड़ोस प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित हैं। उक्त विक्रय दिनांक 22–06–1996 को अपीलान्ट के हक में किया गया है, तब से अपीलान्ट काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। इसके बाद अपीलान्ट ने रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2

से 4 से दिनांक 20–06–2007 को आराजी नंबर 1251 जिसके हाल नंबर 905 बने हैं 35 X 78 कुल क्षेत्रफल 5880 वर्ग फिट, जिसके 20 X 25 फिट पर केलुपोश मकान निर्मित है, क्रय किया ह। इस प्रकार मूल सर्वे नंबर 1251 जिसके हाल नंबर 905 की आवासीय भूमि कुल आवासीय भूमि 2 विक्रय पत्र द्वारा 16497 वर्गफीट भूमि अपीलान्ट ने रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 4 व उसके पिता अमरिया से क्रय की है तथा क्रय दिनांक से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना एकतरफा निर्णय कर दिया है, जिससे अपीलान्ट के हित व अधिकार प्रभावित हुए हैं। अपीलान्ट की आवासीय भूमि को कृषि भूमि दर्ज कर दिया गया है, जिससे अपीलान्ट के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी है, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है।

→ हालांकि प्रकरण प्रथम दृष्टया बेरून मयाद होने से ही खारिज योग्य है, परन्तु प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री महेन्द्र गांधी तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 4 की ओर से वकील श्री जयेन्द्र पुरोहित उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए, जिसकी बहस सुनने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रकरण में अपीलान्ट पक्षकार नहीं होने के बावजूद यह अपील दफा 96 जा.दी. के आवेदन के साथ इस आधार पर प्रस्तुत की है कि अपीलाधीन आदेश में कतिपय भूमियां जो कि आबादी में दर्ज होकर उसके द्वारा क्रय की गयी हैं, उक्त भूमियों का भी कृषि के रूप में इन्द्राज कर दिया गया है। अतएवं उसकी भी शुद्धि की जावे।

वस्तुतः अधिनस्थ न्यायालय के मूलवाद में वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा पेश शुदा वाद में उसके द्वारा भी आवासीय भूमि क्रय किये जाने के कारण उसकी कृषि भूमि के स्थान पर आवासीय भूमियां दर्ज करने का आदेश अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया है। अपीलान्ट जो कि मूलवाद से अजनवी पक्षकार हैं उसको भी अपनी आवासीय भूमि जो कि उसके द्वारा क्रय की गयी है, उसे कृषि भूमि के स्थान पर आवासीय दर्ज करवाने का वाद हेतुक उत्पन्न होता है, परन्तु किसी भी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को दी गयी राहत से अपीलान्ट की सहसम्बन्धता स्पष्ट नहीं है तथा उक्त वाद के निर्णय से अपीलान्ट के रूष्ट होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि अपीलान्ट को पृथक वाद हेतुक उत्पन्न होता है,

जिसके लिए वह पृथक से चाराजोही करने को स्वतंत्र है। चूंकि अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं है, अतएवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय उस पर रेसज्यूडीकेटा के रूप में प्रभावित नहीं होता है। अधिनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश से हम अपीलान्ट को किसी प्रकार से हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार नहीं मानते हैं, क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय के वादी/रेस्पोन्डेन्ट का वाद हेतुक तथा अपीलान्ट का वाद हेतुक दोनों पृथक हैं। तद्नुसार अपीलान्ट का दफा 96 जा.दी. का आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है। तद्नुसार अपील बेरून मयाद तथा दफा 96 जा.दी. का आवेदन स्वीकार नहीं होने के कारण खारिज योग्य है। अपीलान्ट अपने हक अधिकारों के लिए पृथक से वाद लाने हेतु स्वतंत्र है।

अतएवं अपील अपीलान्ट बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 23–02–2012 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 23–01–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

दलीचन्द पिता मूलचन्द, जाति कलाल निवासी करजी, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा बनाम **मगनलाल पिता कोदर, जाति कलाल निवासी करजी, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा व अन्य**

अपील नं.....**7/2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**बागीदौरा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....23**.....माह.....**02**.....**2012**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**23**....माह.....**01**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी....**श्री रामवीर शर्मा**...मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री महेन्द्र गांधी/जयेन्द्र पुरोहित**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 23–02–2012 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**23**.....माह.....**01**.....**2018** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।